कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री शिवचरण सिंह, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि काली पहाड़ी, दौसा का स्थानांतरण राउमावि खानपुर डागरान, कोटकासिम, अलवर किया गया। श्री शिवचरण सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3397/2019 श्री शिवचरण सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3397/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री शिवचरण सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री शिवचरण सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का पदस्थापन राउमावि काबलेशवर दौसा/राउमावि लवाण दौसा/राउमावि खवारावजी लवाण दौसा की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि लोक सेवकों द्वारा अपना पदस्थापन इच्छित स्थान पर किये जाने की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 21.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20 दिनांकः–29/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक –शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत श्रीमती सरोज शर्मा व्याख्याता राजनीति विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि चॉदोली उमरैण अलवर से राउमावि टोडा जयसिंहपुरा, राजगढ अलवर एवं नवाब खां, व्याख्याता राजनीति विज्ञान का राउमावि सरहेटा तिजारा अलवर से राउमावि चॉदोली उमरैण अलवर किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्व श्रीमती सरोज शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3500/2019 सरोज शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3500/2019 के क्रम में माननीय अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 26.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्रीमती सरोज शर्मा के संबंध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अतंरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी के संबंध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती सरोज शर्मा राउमावि चॉदोली उमरैण अलवर में व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं उनके स्थान पर नवाब खां का अंतरिम समायोजन राउमावि भण्डवाडा उमरैण अलवर (08060807301) के व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाता है। **उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20 दिनांकः– 29 /11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा जयपुर
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थानबीकानेर